राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या–448 / 2009 / अलवर.
2. अपील संख्या–449 / 2009 / अलवर.
3. अपील संख्या–450 / 2009 / अलवर.
4. अपील संख्या–451 / 2009 / अलवर.

मैसर्स विश्वकर्मा लेमिनेट्स प्रा0 लिमिटेड, अलवर ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी', अलवर /
सहायक आयुक्त, वृत–बी, अलवर .....प्रत्यर्थी.

5. अपील संख्या–397 / 2010 / अलवर.

मैसर्स विश्वकर्मा लेमिनेट्स प्रा0 लिमिटेड, अलवर ....अपीलार्थी.

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.),
वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

6. अपील संख्या–563 / 2012 / अलवर.

मैसर्स विश्वकर्मा लेमिनेट्स प्रा0 लिमिटेड, अलवर ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–बी, अलवर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22 / 12 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 448, 449, 450 व 451 / 2009 उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 140, 139 / उपा–अल / आरएसटी / 08–09 / 08; 47 / उपा–अल / आरएसटी / 05–06 / 08 एवं 48 / उपा–अल / सीएसटी / 05–06 / 08 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 12.01.2009; अपील संख्या 397 / 2010 अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.), वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के प्रकरण संख्या P-5 (C)118/TaxRate/CCT/08 में वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.11.2009 तथा अपील संख्या 563 / 2012 अपीलीय अधिकारी के अपील संख्या 09 / आरवेट /

लगातार..............2

2011–12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.11.2009 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उक्त समस्त अपीलों में कर दर से सम्बन्धित विवाद निहित है, जिसमें वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 की अवधि के मामलों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में प्रथम बार कर निर्धारण करते समय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित लेमिनेटेड शीट्स पर व्यवसायी की घोषणा अनुसार "इलेक्ट्रिकल गुड्स" मानते हुए, राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिकल गुड्स पर वर्ष 2003–04 में निर्धारित कर दर 8 प्रतिशत एवं वर्ष 2004–05 से निर्धारित 9 प्रतिशत कर दर से करारोपण किया गया, परन्तु बाद में उक्त माल इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं होना मानते हुए इस पर सामान्य कर दर क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरोपित करने हेतु कर निर्धारण आदेशों को अधिनियम की धारा 37 के तहत दिनांक 13.05.2008 को संशोधित किये गए एवं इस पर सामान्य "कर दर" से कर आरोपित कर मांग कायम की गयी। उक्त संशोधित कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश की जाने पर अपीलींय अधिकारी ने व्यवहारी की बिक्रीत वस्तु "बेकेलाईट शीट्स" को इन्सुलेटेड शीट होना अवधारित कर वर्ष 2003–04 के लिये दिनांक 22.03.2002 की गजट अधिसूचना की प्रविष्ठि संख्या 131 अनुसार इन्सुलेटिंग बोर्ड पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने का आदेश दिया गया एवं वर्ष 2004–05 के लिये अधिसूचना की प्रविष्ठि संख्या 139 के अनुसार लेमिनेटेड शीट/इन्सुलेटिंग बोर्ड पर 14 प्रतिशत से कर आरोपित कर, पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। इसी तरह वर्ष 2005–06 के नियमित कर निर्धारण आदेशों में राज्य के भीतर उक्त माल पर 12 प्रतिशत की सामान्य कर दर से करारोपण किया गया एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पारित आदेश में घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में राज्य की कर दर 12 प्रतिशत मानते हुए अन्तर कर आरोपित किया गया, उसके विरूद्ध भी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2005–06 में व्यवहारी के बिक्रीत माल को इन्सुलेटिंग बोर्ड मानते हुए 14 प्रतिशत से कर आरोपित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। इन तीनों ही प्रतिप्रेषित आदेशों के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2003–04

लगातार..............3

के लिये पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2011 को पारित किया गया, जिसमें व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने बिक्री किये गये माल बेकेलाईट लेमिनेटेड शीट पर 12 प्रतिशत से करारोपण पर सहमति प्रदान की जिसके लिये दिनांक 14.01.2011 के पत्रावली पर उपलब्ध आदेश पत्र पर अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर भी किये हैं। इसी तरह वर्ष 2004–05 का पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2011 को पारित किया गया, उसमें भी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आदेश पत्र में हस्ताक्षर सहित लेमिनेटेड शीट पर 14 प्रतिशत से कर दर स्वीकार की गई जिस अनुसार आदेश पारित किया गया। वर्ष 2005–06 के लिये भी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14.01.2011 को उपलब्ध आदेश पत्र अनुसार दी गयी सहमति से 14 प्रतिशत से करारोपण कर राज्य अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत पुनः आदेश पारित कर दिये गये। इन कर निर्धारण आदेशों में व्यवहारी के अनुरोध को स्वीकार कर प्रोत्साहन योजना के तहत छूट का लाभ देते हुए अवशेष कर की गणना की गई। इस तरह इन चारों ही प्रकरणों में अपीलीय आदेश की पालना करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जा चुके हैं।

4. अपील संख्या 397/2010 के प्रकरण के तथ्य ये हैं कि वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत निर्धारित प्रारूप में उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले उक्त विवादित माल "इण्डस्ट्रियल लेमिनेटेड" एवं 'बेकेलाईट' शीट पर कर दर निर्धारित करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.05.2008 को प्रस्तुत किया गया, तब अतिरिक्त आयुक्त (वेट एण्ड आई.टी.) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 10.11.2009 को वेट अधिनियम की धारा 36 के तहत यह निर्णय किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जाने वाला माल "बेकेलाईट शीट" एवं "इण्डस्ट्रियल लेमिनेटेड शीट" वेट अधिनियम की कर अनुसूची–प्रथम, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम् में किसी भी स्थान पर अंकित नहीं होने से इस पर अनुसूची–पंचम की "अवशिष्ठ कर दर" अर्थात् सामान्य कर दर 12.5 प्रतिशत लागू होगी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.) के उक्त आदेश के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा निर्मित माल को इलेक्ट्रिकल गुड्स माने जाने का तर्क देते हुए अतिरिक्त आयुक्त के आदेश दिनांक 10.11.2009 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है।

लगातार..............4

5. उक्त पांचों अपीलों में एक समान (Common) विवाद यह है कि अपीलार्थी द्वारा जो माल निर्माण करके विक्रय किया जा रहा है उस माल पर वर्ष 2003—04, 2004—05 व 2005—06 के बीच की कर दर एवं वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात् अर्थात् 01.04.2006 के बाद कर दर इलेक्ट्रिक गुड्स की श्रेणी में सम्मिलित कर, इलेक्ट्रिक गुड्स की कर दर लागू होगी अथवा इसे इलेक्ट्रिकल गुड्स की श्रेणी में न मानते हुए अवशिष्ठ कर दर लागू होगी।

6. इसी प्रकार अपील संख्या 563/2012 में वर्ष 2008—09 से सम्बन्धित पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.10.2010 में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे इलेक्ट्रिक गुड्स न मानकर वेट अधिनियम की अनुसूची—पंचम के तहत सामान्य दर से कर योग्य मानते हुए जो आदेश पारित किया गया है, उसे विवादित किया गया है।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

8. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा वर्ष 2008—09 के सम्बन्ध में कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जिस माल का विक्रय किया जा रहा है वह माल वेट अधिनियम की अनुसूची—IV Part (बी) की प्रविष्ठि संख्या 231, जिसमें CRGO / इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन अंकित किया गया है उसके अनुसार 4 प्रतिशत की कर दर ही लागू योग्य है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त के आदेश के प्रथम पेज की अंतिम पंक्ति पर अंकित सी.सी.ई. बनाम बेकेलाईट हाईलम 1997 (91) ई.एल.टी. 13 (एस.सी.) पैरा 28 का हवाला देते हुए कथन किया कि इण्डस्ट्रियल लेमिनेट को इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन में प्रयुक्त होने से उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रविष्ठि संख्या 85.46 में माना है, इससे यह पुष्टि होती है कि उनका निर्मित माल इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन में प्रयुक्त होने से वह इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन की प्रविष्ठि में सम्मिलित योग्य है, अतः अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर का कर दर सम्बन्धी विनिश्चय आदेश अविधिक है।

9. विद्वान अभिभाषक द्वारा वर्ष 2003—04 एवं 2004—05 के संशोधित कर निर्धारण आदेश को विवादित करते हुए कथन किया कि उन आदेशों में पूर्व के कर निर्धारण आदेशों को संशोधित करते हुए इलेक्ट्रिकल गुड्स के स्थान पर सामान्य गुड्स मानते हुए सामान्य कर दर आरोपित की गयी थी जो संशोधन प्रावधान की परिभाषा के तहत नहीं आ सकते। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रथम बार जो कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था, उसमें व्यवसायी द्वारा विक्रय किये गये माल को इलेक्ट्रिकल गुड्स मानते हुए ही आदेश पारित किया

लगातार..............5

गया था। इस तरह कर दर के मामलों में तथ्यों को पुनः परीक्षण एवं विश्लेषण कर संशोधन आदेशों के जरिये अलग 'कर दर' से करारोपण कर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। यह भी कथन किया कि संशोधन आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा जो अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी उसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वयं के विवेक से माल को इलेक्ट्रिकल गुड्स न मानकर यह भी माना है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय भी अनुचित है बल्कि उनके द्वारा इन दोनों वर्षों में एवं वर्ष 2005-06 में इस माल को इन्सुलेटिंग बोर्ड मानते हुए विशिष्ठ अधिसूचित कर दर 12.5 एवं 14 प्रतिशत से करारोपण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध सृजित मांग को और बढ़ाये जाने के आदेश दिये गये जो अनुचित है क्योंकि अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह विवाद प्रस्तुत नहीं किया गया था कि वह कर दर किस विशिष्ठ प्रावधान के तहत आरोपणीय है। इस तरह अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर अन्यथा कर दर आरोपित करने का जो निर्णय लिया गया है वह विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

10. विद्वान अभिभाषक ने वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के इसी सम्बन्ध में हुए विवादों की अपीलों के सम्बन्ध में कथन किया कि उनका निर्मित माल पेपर लेमिनेशन के रूप में इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन में एवं उनके द्वारा बिक्री की गई लेमिनेटेड शीट जिनका ब्राण्ड नेम ''बेकेलाईट'' के रूप में बाजार में उपलब्ध है वह इलेक्ट्रिकल गुड्स के रूप में ही काम में आता है। अपने कथन के साथ में यह तर्क दिया कि वेट अधिनियम की अनुसूची-चतुर्थ के पार्ट-बी की प्रविष्ठि संख्या 229 में इलेक्ट्रिकल गुड्स इन्सुलेटिंग पेपर / क्राफ्ट पेपर / प्रेस बोर्ड भी अंकित है एवं अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्ठि संख्या 70 में इन्सुलेटर्स को अंकित किया हुआ है। इस तरह उनका माल उक्त प्रविष्ठि संख्या 229, 231 एवं प्रविष्ठि संख्या 70 के तहत सम्मिलित योग्य है। उन्होंने कथन किया कि उक्त तीनों प्रविष्ठियों के अलग-अलग अंकन होने से उनके द्वारा विक्रय किये गये माल इण्डस्ट्रियल लेमिनेट्स एवं बेकेलाईट शीट जो इण्डस्ट्रियल लेमिनेट्स के ब्राण्ड नेम के रूप में विक्रय किये जाते हैं, उनकी कर दर के विनिश्चयीकरण हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु उनके उक्त विवादित आदेश दिनांक 10.11.2009 में बिना कोई कारण अंकित किये प्रविष्ठि संख्या 229, 231 व 70 में सम्मिलित नहीं करते हुए केवल यह निर्णय दिया गया कि इण्डस्ट्रियल लेमिनेटेड एण्ड बेकेलाईट शीट प्रथम, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में अंकित नहीं होने से सामान्य कर दर से कर योग्य है। यह कथन किया कि इस निर्णय में यह

लगातार..............6

अंकित किया है कि उक्त विवादित बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी एवं कमेटी ने रिपोर्ट दी है जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस तरह पारित किया गया निर्णय नैसर्गिक नयाय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से भी अपास्त योग्य है।

11. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा विक्रय किया गया माल इण्डस्ट्रियल/इलेक्ट्रिकल लेमिनेशन होने से इसे वेट अधिनियम की अनुसूची–चतुर्थ में सम्मिलित मानते हुए 4 प्रतिशत से कर योग्य अवधारित करते हुए अतिरिक्त आयुक्त के आदेश को निरस्त किया जावे।

12. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 के अपीलीय आदेशों व वेट अधिनियम में कर दर के विनिश्चयीकरण के सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में जो गणना में त्रुटि के कारण कम कर दर आरोपित की गयी थी उसे संशोधित करते हुए सही कर दर आरोपित करते हुए जो गणना की गयी थी वह पूर्णतया विधिसम्मत है एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी को कर निर्धारण आदेश में मांग राशि को बढ़ाने के अधिकारों के तहत उचित आदेश पारित करते हुए कर दर को वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा विशिष्ठ अधिसूचित कर दर अनुसार करारोपण करने के जो आदेश दिये गये हैं उसमें भी कोई अविधिकता नहीं है। कथन किया कि वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 के अपीलीय आदेश में प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये थे उन मामलों में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.02.2011 को पारित हो चुके है एवं अपीलार्थी ने भी उनमें सहमति दी थी अतः अत विवादित अपील एवं कर निर्धारण आदेश सारहीन हो चुके है। अतः इस पर कोई निर्णय दिया जाना विधिक नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपीलें खारिज करने का निवेदन किया।

13. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

14. उक्त अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1998 के तहत करमुक्ति का लाभ प्राप्त था। उसके द्वारा जो उत्पाद, निर्माण करके विक्रय किया जा रहा था वह फेनोलिक लेमिनेटेड शीट के नाम से विक्रय किया गया था जिसका ब्राण्ड नेम बेकेलाईट होने से उन्हें 'बेकेलाईट शीट्स' के रूप में विक्रय किया जाना बताया गया। व्यवसायी द्वारा वर्ष 2008–09 में कर निर्धारण

लगातार..............7

अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील आधारों में अपीलीय अधिकारी को जो कथन प्रस्तुत किये गये थे उसमें यह लिखित प्रतिवेदन किया गया था कि उनके द्वारा जिस माल का उत्पादन किया जा रहा है उसमें कच्चा माल फिनोल, कार्डिनोल, क्राफ्ट पेपर एवं फेब्रिक का भाग होता है एवं जो शीट बनाई जाती है वह सामान्यतः मैकेनिकल ताकत के साथ में इलेक्ट्रिकल इन्सुलेशन के गुण भी रखती है एवं इनका उपयोग इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनों में इलेक्ट्रिक करन्ट एवं इन्सुलेशन हेतु इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, रेगुलेटर्स, ट्यूबलाईट, होल्डर, स्टार्टर आदि में प्रयोग होता है। इसी तरह अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष बार-बार यह निवेदन किया गया था कि उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले इण्डस्ट्रियल लेमिनेट्स में इलेक्ट्रिकल एवं इन्सुलेटिंग प्रोपर्टी होने से उनका उपयोग इलेक्ट्रिकल कार्यों में होता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा लेमिनेट्स के बारे में जो साहित्य (Literature) पेश किया गया है, उसमें डॉ. बिकलेंट द्वारा किये गये आविष्कारों एवं ब्राण्ड नेम बेकेलाईट अंकित करते हुए जो विवरण दिया गया है उनका अवलोकन किये जाने पर उनके उत्पाद को Phenolic Resin Bonded Paper Laminates (SRBP) / Cotton Fabric Laminates / Hylem Paper Based laminates / Hylem Fabric Based Laminates बताया गया है। इन प्रस्तुत विवरणों के अध्ययन पर इन लेमिनेट्स का उपयोग इस तरह से बताया गया है :- Phenolic Resin Bonded Paper Laminates are used in the fabrication of insulating components for applications such as switchgear, electric motors and transformers. Paper-based industrial laminates provide the electrical engineer with a choice of different grades of high-quality material possessing excellent insulating properties and good mechanical features.

15. इसी तरह कॉटन फेब्रिक लेमिनेट्स को निम्न प्रकार विश्लेषित किया गया है :- Phenolic Resin Bonded Cotton Fabric Laminates (SRBF) - Where mechanical strength, wear resistance and resilience are more important than electrical insulation, Phenolic Resin Bonded Cotton Fabric laminates are the answer. Typical applications of fabric laminates are gears, textile shuttles, bearings, pickers, bushes and marine applications. Different grades are offered to suit specific applications.

16. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इन सभी वर्षों में इसी बिन्दु पर विवाद किया गया है कि उनका उत्पाद एक इलेक्ट्रिकल गुड्स के रूप में उपयोग होने से इलेक्ट्रिकल गुड्स है ज़बकि व्यवसायी द्वारा बनाये गये प्रोडक्ट में सीधे तौर पर इलेक्ट्रिकल गुड्स के रूप में कार्य में आना उनकी प्रोफाइल में दर्शित नहीं होता है क्योंकि इनके द्वारा जो लेमिनेटेड शीट, जो कि पेपर या फेब्रिक से

लगातार..............8

बनाई जाती है जिसके लिये फिनोलिक रेजिन का उपयोग होता है वह विभिन्न तरह के उत्पादों को बनाने के लिये काम में ली जाती है, जो उपरोक्त वर्णन में लिखा हुआ है जैसे कि इन लेमिनेट्स को टैक्सटाईल, शटल, बियरिंग आदि में भी कार्य में लिया जाता है। इस तरह यह एक ऐसा उत्पाद है जो विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में आवश्यकता अनुसार इन्सुलेटिंग कम्पोनेंट्स के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जिसको सामान्यतः यह भी कहा जा सकता है कि अपीलार्थी के उत्पाद इन्सुलेटिंग कम्पोनेंट्स के रूप में अन्य उत्पादों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में कार्य में लिये जाते हैं। इस माल का उपयोग करने के पश्चात् जो अन्य माल निर्मित होता है वह इलेक्ट्रिकल गुड्स या टैक्सटाईल, शटल, बियरिंग, बुशेज व मरीन एप्लिकेशन्स में काम में लिये जाते हैं।

17. प्रस्तुत लिटरेचर अनुसार उत्पाद के Range एवं Specification में जो पूर्ण विवरण दिया गया है, इस ब्राण्ड द्वारा कई तरह के उत्पाद एवं उनके उपयोगिता का वर्णन किया गया है, जैसे कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज संख्या 46 पर यह Reach नाम के शीर्षक में यह लिखा गया है कि – "These laminates have been developed and designed to cater to a wide spectrum of industrial needs : power distribution, consumer electronics, industrial electronics, telecommunications and engineering." अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये लिटरेचर में Laminates design for industry के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि यह एक तरह की शीट का निर्माण करती है जो विभिन्न उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रोडक्ट के निर्माण में कार्य में ली जाती है। इस तरह इनके उत्पादों को सीधा इलेक्ट्रिकल उत्पाद परिभाषित किया जाना उचित नहीं है क्योंकि स्वयं अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिकतम जोर इस बिन्दु पर दिया गया है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय **(1981) 47 एस.टी.सी. 303 हिन्द रेक्टिफायर्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र** में यह अवधारित किया गया है कि किसी वस्तु के इलेक्ट्रिकल होने का परीक्षण इस बिन्दु से नहीं हो सकता कि उस वस्तु के लिये इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होना चाहिये, बल्कि किसी वस्तु को इलेक्ट्रिकल गुड्स की परिभाषा में सम्मिलित होने के लिये उसका सीधा सम्बन्ध electrical utilization, consumption, transmission or production of electricity से होने पर उन्हें इलेक्ट्रिकल गुड्स की श्रेणी में माना जायेगा और इसीलिए उनके समक्ष प्रस्तुत विवाद जिसमें रेक्टिफायर्स को इलेक्ट्रिकल गुड्स माना गया था जो ए.सी. को डी.सी. में परिवर्तित करने में कार्य में आता है उसे इलेक्ट्रिक गुड्स माना गया। इस निर्णय के आलोक में

लगातार..............9

उनका यह तर्क है कि अपीलार्थी का उत्पाद भी इन्सुलेशन के कार्यों में आता है अतः इन्हें इलेक्ट्रिकल गुड्स के रूप में सम्मिलित किया जाना योग्य है, स्वीकार योग्य नहीं हो सकता क्योंकि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा जिस वस्तु पर निर्णय दिया गया है वह एक फिनिश्ड गुड्स है जो केवलमात्र इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिये ही प्रयुक्त होने के लिये निर्मित किया जाता है जबकि अपीलार्थी द्वारा दिये गये विभिन्न कथनों में जो कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी तथा अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे उसमें यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो लेमिनेटेड शीट्स का उत्पादन किया जाता है वे भिन्न—भिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित किये जाने वाले भिन्न—भिन्न उत्पादों में कार्य में लिये जाते हैं अर्थात् इनका उत्पादन स्वयं एक कच्चे माल के रूप में अन्य उत्पादों को तैयार करने में काम में लिया जाता है एवं इसी क्रम में उनके द्वारा उत्पाद के सम्बन्ध में जो साहित्य प्रस्तुत किया है उसमें स्वयं में यह विवरण दिया गया है कि यह भिन्न—भिन्न औद्योगिक उत्पादों के एप्लिकेशन में प्रयुक्त होता है जिनसे अन्तिम रूप से विभिन्न तरह के उत्पाद बनाये जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल उत्पाद भी है वे इलेक्ट्रिकल कार्यों में काम में आने वाले उत्पाद भी हो सकते हैं परन्तु अपीलार्थी द्वारा निर्मित माल स्वयं किसी इलेक्ट्रिकल प्रयोजन में प्रयुक्त नहीं होता है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष भी यह बिन्दु था कि क्या वो उत्पाद जो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से ही कार्य में आ सकते हैं, केवल वे ही इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं अथवा अन्य सामान भी इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, जिसका सीधा सम्बन्ध इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन, डिस्ट्रिब्यूशन एवं ट्रांसमिशन से हो तब माननीय न्यायालय द्वारा यह उत्तर दिया गया कि वे सभी उत्पाद जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन, डिस्ट्रिब्यूशन, ट्रांसमिशन में कार्य में लिये जाते हैं वे भी इलेक्ट्रिकल गुड्स कहलायेंगे, जिसमें यह उदाहरण दिया गया कि इलेक्ट्रिकल वायर जो स्वयं इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम नहीं करता है परन्तु इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने में काम में आता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्लगस, स्विचेज को इलेक्ट्रिकल गुड्स माना गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय से यह और स्पष्ट होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से सम्बन्धित उत्पाद हैं वे इलेक्ट्रिकल गुड्स कहलायेंगे, जबकि अपीलार्थी द्वारा निर्मित किये गये उत्पाद लेमिनेटेड शीट निश्चित रूप से किसी इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे स्विचगियर या बोर्ड और किसी कार्य में आने वाले उत्पादों को निर्माण करने में कच्चे माल के रूप में कार्य में आते हैं परन्तु वे स्वयं एक पूर्ण इलेक्ट्रिकल वस्तु नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिकल गुड्स का कच्चा माल हो सकता है या उनको निर्माण करने में इन शीट्स का उपयोग किया जा सकता है, उन वस्तुओं को इलेक्ट्रिकल गुड्स की श्रेणी में सम्मिलित किया जाना उचित तर्क नहीं है।

लगातार............10

18. अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह तर्क भी दिया गया था कि सेन्ट्रल एक्साईज विभाग द्वारा उनके उत्पाद ''पेपर लेमिनेट्स'' को इलेक्ट्रिसिटी इण्डस्ट्री में उपयोग होने से उन्हें अलग कैटेगिरी में रखा हुआ है। इस प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य बल इस बिन्दु पर है कि उनके द्वारा जो पेपर या फेब्रिक शीट्स बनाई जा रही है वे उनके ग्राहकों द्वारा विभिन्न तरह की औद्योगिक वस्तुएं निर्मित करने में काम में आने एवं विशेष तौर पर इलेक्ट्रिकल आईटम के निर्माण में उनकी शीट्स को इन्सुलेशन के रूप में काम में लिये जाने से इन्हें इलेक्ट्रिकल गुड्स माना जाये, जो पूर्णतया अतार्किक कथन है क्योंकि इनके उत्पाद को इलेक्ट्रिकल उत्पादों में इन्सुलेटिंग गुणों के लिये काम में लिये जाने से इनका उत्पाद इलेक्ट्रिकल उत्पाद नहीं होगा बल्कि यह एक कच्चे माल के रूप में उपयोग में आने वाली वस्तु है जिसे सीधे इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं कहा जा सकता एवं न ही इनका सीधा सम्बन्ध इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन, कन्जम्प्शन, ट्रांसमिशन से है, जैसा कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिकल वायर जो कि इलेक्ट्रिकल गुड्स है परन्तु इसके निर्माण में कॉपर वायर एवं इन्सुलेशन करने के लिये प्लास्टिक ग्रेन्यूल की कोटिंग का माल स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं कहा जा सकता, बल्कि वे प्लास्टिक ग्रेन्यूल एवं कॉपर वायर उनकी स्वयं की श्रेणी में अवस्थिति रहेंगे।

19. अपीलार्थी के कथनों एवं तर्कों का आधार यह है कि उनके द्वारा जो लेमिनेटेड शीट विभिन्न आकार की एवं उद्योग की आवश्यकतानुसार बनाई जाती है वह चूंकि अन्तिम रूप से इलेक्ट्रिकल गुड्स के निर्माण में इन्सुलेशन के लिये प्रयुक्त होती है अतः उन्हें भी इलेक्ट्रिकल गुड्स माना जाये, सुविचारित नहीं है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल गुड्स के निर्माण में विभिन्न तरह की वस्तुओं का उपयोग होने से निर्माण से पूर्व की वस्तुओं को भी इलेक्ट्रिकल गुड्स माना जाना तर्कपूर्ण नहीं है। फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिये गये ये कथन एवं तर्क विधिसम्मत नहीं है कि उनके उत्पाद को भी इलेक्ट्रिकल गुड्स मानते हुए उस अनुसार इलेक्ट्रिकल गुड्स की कर दर आरोपित की जाये। अपीलार्थी व्यवहारी के निर्मित माल का नाम राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 में जारी विभिन्न कर अधिसूचनाओं में अंकित नहीं होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवशिष्ट सामान्य कर दर अनुसार करारोपण योग्य माना गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों की त्रुटियों को इंगित कर विभिन्न समय में विशिष्ट कर दर अधिसूचित होना बताते हुए उस कर दर अनुसार करारोपण किये जाने का निर्देश दिया गया है वह उचित है।

लगातार............11

20. यह भी उल्लेखनीय है कि वेट अधिनियम वर्ष 2006 से लागू होने के पश्चात् अधिनियम की कर अनुसूची में अपीलार्थी के उत्पाद ''लेमिनेटेड शीट'' का नाम अंकित नहीं होने से उस पर अनूसूची–पंचम के अनुसार अवशिष्ट कर दर से कर आरोपित किया जाना विधिसम्मत है। इस तरह अपीलार्थी का उत्पाद इलेक्ट्रिक गुड्स नहीं होने से एवं वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 में इन्सुलेटिंग शीट एवं बोर्ड के लिये अधिसूचित कर दर जो तत्समय प्रचलित अधिसूचना में क्रमशः प्रविष्ठि संख्या 131 एवं 139 के अनुसार करारोपण किया गया है वह उचित है एवं वेट अधिनियम लागू होने के पश्चात् अवशिष्ट कर दर से करारोपण किया जाना भी उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत है एवं इस बिन्दु पर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 3 प्रतिशत के तहत दिया गया निर्णय विधिसम्मत है।

21. वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 के प्रकरणों में चूंकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों को प्रतिप्रेषित किया गया था उन मामलों में पुनः कर निर्धारण आदेश सक्षम कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2011 को पारित किये जा चुके हैं एवं कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने से पूर्व की गई सुनवाई के समय उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पत्रावली के आदेश पत्रों पर अपीलीय आदेश के निर्देशों के अनुसार कर दर आरोपित करने पर सहमति देते हुए हस्ताक्षर किये गये हैं एवं उसी अनुसार प्रोत्साहन योजना में दिये गये लाभ में कमी किये जाने का भी अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार किया गया है। इस तरह वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 के कर निर्धारण आदेशों को अपीलीय आदेश के पश्चात् एवं अपीलार्थी द्वारा सहमति प्रदान कर देने के बाद पुनः पारित किये जा चुके है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 की विवादित अपीलें अब सारहीन हो चुकी है। अतः इस आधार पर खारिज की जाती है। इसके अलावा गुणावगुण पर भी उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी का बिक्रीत माल इलेक्ट्रिकल गुड्स नहीं होना भी निर्णित किया जाता है। अतः अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.) राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 10.11.2009 की भी पुष्टि की जाती है।

22. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य